

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भेरूलाल

विपक्षी : सार्वजनिक निर्माण विभाग

किस्म मुकदमा – आ.39नि.2सी.पी.सी.

पत्रावली संख्या : 08/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 05.08.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई, अनुपस्थित हैं। अधिवक्ता विपक्षीगण उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा पूर्व पेशी पर दौराने बहस निवेदन किया कि मौके पर सडक मार्ग चालु हैं। सडक निर्माण हेतु बजट लेप्स हो रहा हैं। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी विपक्षीगण के विरुद्ध कन्टेम्प्ट का प्रार्थना पत्र दर्ज करवाया था जो अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया था। विपक्षीगण द्वारा ग्राम मोरडिया तह. वल्लभनगर के आराजी नम्बर 150 रकबा 0.46 हेक्टेयर भूमि में जो रास्ता बना हुआ है उसी रास्ते में डामरीकरण करवाया जा रहा हैं। उक्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व टीम द्वारा मौका पर्चा भी बनाया गया है जिसमें भी अंकित किया गया कि ग्राम मुरडिया के आराजी नम्बर 150 रकबा 0.46 किस्म रास्ता होकर विकास पंचायत तारावट महफुज चरनोट दर्ज हैं। अतः प्रकरण का मेरिट पर निस्तारण कर खारिज किया जावे।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर यह तो स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी कन्टेम्प्ट के प्रार्थना पत्र दर्ज करवाये गये हैं। प्रार्थी एवं प्रार्थी के अधिवक्ता आज भी प्रकरण में अनुपस्थित हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे यह प्रतीत होता हो कि विपक्षीगण द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना की हो। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेंटेबल नहीं होने से तथा प्रार्थी मय अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित रहने से खारिज योग्य पाया जाता हैं।</p> <p>:: आदेश ::</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए जा.दी. का प्रार्थी मय अधिवक्ता प्रार्थी अनुपस्थित रहने से अदम हाजरी अदम पैरवी तथा प्रार्थना पत्र मेंटेबल नहीं होने से खारिज किया जाता हैं।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p>(मनसुख राम डामोर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)मावली</p>	

